सं. 12/1/2016-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 31 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत किसी निचले पद पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों के मामले में वेतन का निर्धारण करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 21.10.2009 के का.ज्ञा.सं. 13/9/2009-स्था.(वेतन-I) के साथ पठित दिनांक 05.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 16/4/2012-वेतन-I का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा इस विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के मामले में वेतन निर्धारण करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों और सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के बाद मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत निचले पदों पर स्थानांतरण चाहते है। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 01.01.2006 से किसी सरकारी सेवक के स्वयं के अनुरोध पर मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत निचले ग्रेड वेतन में स्थानांतरण के मामले में उसके वेतन का निर्धारण निचले पद पर उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा वेतन बैंड में आहरित किए जा रहे वेतन, के समकक्ष स्तर पर किया जाएगा। तथापि, उसे निचले वेतन का ग्रेड वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी मामलों में वह वेतन बैंड + ग्रेड वेतन (निचला) में अपनी वेतन वृद्धि प्राप्त करता रहेगा।

2. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश और सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, मौजूदा वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन प्रणाली के स्थान पर नए वेतन मैट्रिक्स की अवधारणा की गयी है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 05.11.2012 और 21.10.2009 तथैव के कार्यालय ज्ञापनों के आंशिक संशोधन द्वारा, 01.01.2016 से स्वयं के अनुरोध पर मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत निचले पद पर स्थानांतरित किसी सरकारी सेवक के संबंध में वेतन निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगी:

'दिनांक 01.01.2016 से, स्वयं के अनुरोध पर मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में पद के निचले स्तर पर स्थानांतरण के मामले में, नियमित आधार पर पद धारण वाले सरकारी सेवक के वेतन को नियमित रूप से उच्च स्तर में धारित पद पर उसके द्वारा आहरित वेतन के समकक्ष स्तर में संशोधित वेतन संरचना में नियत किया जाएगा। यदि ऐसा कोई स्तर उपलब्ध नहीं हो तो वेतन को नियमित रूप से उच्च स्तर में धारित पद में उसके द्वारा आहरित किए जा रहे वेतन के संबंध में निचले पद में ठीक उससे निचले स्तर पर नियत किया जाएगा और वेतन में आने वाले अंतर को भावी वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) में समाहित किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यदि निचले स्तर, जिसमें उसको नियुक्त किया जाता है, में वेतन प्रोन्नयन वर्टिकल रेंज का अधिकतम उच्च स्तर में

उसके द्वारा आहरित वेतन से कम हो तो उसके वेतन को मूल नियम 22(I)(ए)(3) के अंतर्गत वर्टिकल रेंज की अधिकतम सीमा तक सीमित किया जा सकता है।'

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त पैरा 2 के अनुरूप ऐसे स्थानांतरण, यदि कोई हो, की निबंधन/शर्तों को संशोधित करें।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

5. यह आदेश 01.01.2016 से लागू होगा।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर का.ज्ञा. एवं आदेश (स्थापना - वेतन नियमावली) तथा "नया क्या है" के अंतर्गत भी अपलोड करें।

प्रतिलिपि प्रेषित

1. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/नीति आयोग।
3. महालेखा परीक्षक/महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस प्रभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली।
7. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
9. संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
10. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार